करसा कोठी,

## लोक सुनवाई का वृत।

**श्री राणा उदय प्रताप सिंह, पिता–स्व0 राणा रणविजय प्रताप सिंह, पता–करसा कोठी, पोस्ट+थाना–बिक्रम, जिला–पटना द्वारा भोजपुर सोन–16 बालू घाट मौजा+पोस्ट+थाना–संदेश, अंचल–संदेश, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 29.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे भोजपुर जिला के संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2060/2022, के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 29.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 22.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में

वृक्षारोपण (100 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/ मंतव्य निम्नवतः हैः–

| कमांक | नाम एवं पता | प्रतिकिया/सुझाव |
|---|---|---|
| 1. | श्री भोला चौधरी, पिता–स्व0 विष्णु चौधरी, ग्राम–त्रिकौल, जिला–भोजपुर। | इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के तहत् एक ही संवेदक द्वारा एक से ज्यादा जगह पर खनन किया जाता है, इससे ज्यादा प्रदूषण होता है। सुझाव दिया गया कि संवेदक को एक या दो प्वांइट पर ही खनन करने की अनुमति दी जाय। |
| 2. | श्री राहुल कुमार गुप्ता, ग्राम–संदेश, जिला–भोजपुर। | इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान संवेदक एक से ज्यादा रास्ता का उपयोग करते हैं, इस पर रोक लगायी जाय।<br>खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्रफल को देखकर रास्ता दिया जाता है। आबादी के पास रास्ता नही दिया जाता है। |
| 3. | श्री हरिनारायण यादव, ग्राम– पनपुरा, संदेश, जिला– भोजपुर । | इनके द्वारा बताया गया कि ट्रक चलेगा तो धूल उड़ेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसके लिए कितने पेड़ लगाये जायेंगे।<br>पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।<br>खनिज विकास पदाधिकारी ने बताया कि पेड़ 100 नं0 निर्धारित नहीं है। ज्यादा भी लगाये जा सकते हैं। अगर आम जनता अपना रैयत जमीन पर पेड़ लगाने के इच्छुक रहेंगे तो उनको निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराये जायेंगे। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | श्री मेघनाथ चौधरी , ग्राम–सरैया पंचायत, खण्डौल , जिला–भोजपुर । | इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल संकट की समास्या होती है। रोड पर धूल उड़ते हैं। ग्रामीणों का स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से हृदय रोग बढ़ रहे हैं। बालू का कटाव 03 मी0 से अधिक होता है। इन बातों पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।<br>खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को सुनिश्चित जिला प्रशासन करायेंगी। नहीं करने पर संवेदक से जुर्माना राशि वसूला जाता है। अगर आप से शिकायत मिलेगा तो अवश्य कारवाई होगी। |
| 5. | श्री शिवकल्याण सिंह, ग्राम–परपुरा, जिला–भोजपुर। | इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य दिन में ही होना चाहिए। |
| 6. | आफताब शाहाबादी, ग्राम–संदेश, जिला–भोजपुर। | इनके द्वारा बताया गया कि सरकार को राजस्व कम मिलता है। अवैध खनन की जाती है। खनन मापदंड के अनुसार अनुपालन नहीं होता है। खनन की गहराई ज्यादा नहीं किया जाय। जाम की स्थिति में सुधार आवश्यक है। ओभर लोडिंग नहीं किया जाय। खनन होना चाहिए, मगर तौर तरीका से होना चाहिए। आबादी के बीच परिवहन नहीं किया जाय। |

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 200 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से फायदा–नुकसान दोनों होता है। नुकसान का भरपाई करना है। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। आपका सहयोग भी अपेक्षित है।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

31/05/23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

31/05/23
निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी
भोजपुर

# उपस्थिति सूची

श्री राणा उदय प्रताप सिंह द्वारा सोन 16 बालू घाट, मौजा+पोस्ट+थाना+अंचल-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

| क्र०सं० | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | [illegible] कु० पाण्डेय | निदेशक, डी.आर.डी.ए., भोजपुर | [illegible] 29/5/23 |
| 2. | आशीष कुमार गुप्ता | सहायक पर्यावरण [illegible] बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना | [illegible] 29-5-23 |
| 3. | आनंद प्रकाश | खनिज विकास पदाधिकारी भोजपुर | [illegible] 29/05/23 |
| 4. | नीतीश कुमार | [illegible] | Nitish ku. |
| 5. | सुधीर शर्मा | [illegible] (आरा) भोजपुर | सुधीर शर्मा 29-5-23 |
| 6. | [illegible] | [illegible] संदेश, भोजपुर | [illegible] |
| 7. | [illegible] | [illegible] संदेश भोजपुर | [illegible] |
| 8. | [illegible] सिंह | [illegible] संदेश भोजपुर बिहार | [illegible] |
| 9. | Megh Nath Chaudhary | Vill. Saraiya P.O. Phulari Block Sandesh | [illegible] 29/5/23 |
| 10. | [illegible] सिंह | [illegible] संदेश भोजपुर | [illegible] सिंह |
| 11. | [illegible] सिंह | [illegible] संदेश भोजपुर | [illegible] सिंह |
| 12. | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |